उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-225/2019/4447/26-3-2019

लखनऊः दिनांकः 18 अक्टूबर 2019

शुद्धि पत्र

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016'' के प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (नवम संशोधन)-2019 शासनादेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2019-4(358)/07टी0सी0-।।। दिनांक-14.10.2019 द्वारा जारी किया गया था, किन्तु उक्त शासनादेश की दूसरी पंक्ति में उल्लिखित शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/ 26-3-2016-4 (358)/07 टी.सी.-।। की तिथि 14.04.2017 अंकित हो गयी है। अतः उक्त शासनादेश की तिथि 14.04.2017 के स्थान पर दिनांक-14.04.2016 पढ़ी जाय।

3- शासनादेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2019-4(358)/07टी.सी.-।।।, दिनांक-14.10.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

सतीश कुमार

अनु सचिव

पृ0सं0-225/2019/4447(1)/26-3-2019 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन /मा0 शिक्षा/ उच्चशिक्षा/ तकनीकीशिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in